

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 710 OF 2023

**IN THE MATTER OF:**

SUSHIL RAGHAV

... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

... RESPONDENTS

**INDEX**

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 11, GHAZIABAD MUNCIPAL CORPORATION	1-3

FILED BY



MALAK BHATT  
ADVOCATE FOR THE RESPONDENT NO. 11  
C-7, GROUND FLOOR, NIZAMUDDIN EAST,  
NEW DELHI – 110013  
M: +91 9650592002  
E: [malak@malakbhatt.com](mailto:malak@malakbhatt.com)

FILED ON: 15.04.2024  
NEW DELHI



कार्यालय: नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम।

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION

दूरभाष: 0120-2790425, 2713580

ई-मेल: gzb.nagar.nigam@gmail.com

पत्रांक: 07/न0आ0/2024

दिनांक: 12/04/2024

प्रेषक:

नगर आयुक्त,  
गाजियाबाद नगर निगम।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

विषय: विषय: मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित OA No-710/2023 (I.A. No- 835/2023) Sushil Raghav Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक स्वकीय कार्यालय पत्र सं0-77/एस.टी.डी.एम./2024 दिनांक 09.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित OA No-710/2023 (I.A. No- 835/2023) Sushil Raghav Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए, कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रश्नगत प्रकरण में विभागीय आख्या तैयार कराकर पत्र के साथ संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय

*(Handwritten Signature)*

(विक्रमादित्य सिंह मलिक)

आई.ए.एस.


नगर आयुक्त


उद्यान प्रभारी/अपर नगर आयुक्त/नगर आयुक्त महोदय

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-710/2023 (आई0ए0-835/2023) सुशील राघव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-05.02.2024 के अनुपालन में नगर निगम गाजियाबाद की ओर से आख्या निम्नवत् है:-

1. यह कि प्रश्नगत ओ0ए0/वाद में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-30.11.2023 के द्वारा एक संयुक्त कमैटी का गठन करते हुये अनुपालन आख्या दाखिल किये जाने हेतु आदेश पारित किये गये। जिसके क्रम में संयुक्त कमैटी द्वारा दिनांक-20.01.2024 को स्थलीय निरीक्षण कर आपनी आख्या मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रेषित की गयी जिसमें नगर निगम व तहसील स्टाफ द्वारा स्थल की पैमाईश कर यह आख्या प्रेषित की गयी कि विवादित स्थल राजेन्द्र नगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क में 10880 वर्ग मीटर क्षेत्रफल अतिक्रमण मुक्त है तथा 7120 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगभग 25-30 वर्षों से वावूजगजीवन राम कालौनी अवैध रूप से वसी हुयी हैं, जिसका उल्लेख मा0 अधिकरण के पारित आदेश दिनांक-05.02.2024 में भी किया गया है। वावू जगजीवन राम कालौनी 7120 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगभग 30 वर्षों से अधिक समय से अवैध रूप से स्थापित है।
2. यह भी अवगत कराना है कि उक्त पार्क के लिए निर्धारित भूमि पर गाजियाबाद नगर निगम द्वारा सड़क/पथ का निर्माण नहीं कराया गया है और न ही नाले का निर्माण कराया गया है। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है केवल पर्यावरण के दृष्टिगत एवं खाली स्थल पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण न हो, के लिए गाजियाबाद नगर निगम द्वारा खाली स्थल पर लगभग 21000 पौधों का सघन पौधारोपण का कार्य कराया गया है।
3. प्रश्नगत ओ0ए0 में दिनांक-05.02.2024 को पारित आदेशों में मा0 अधिकरण ने वादी द्वारा अपनी ओ0ए0 में दाखिल राजेन्द्र नगर औद्योगिक क्षेत्र के (मास्टर प्लान) जिसमें उक्त पार्क का क्षेत्रफल 14400 वर्गगज उल्लेखित है पर जिलाधिकारी महोदय से सुस्पष्ट आख्या हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में वादी द्वारा उपरोक्त मास्टर प्लान की प्रमाणिकता हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा जी0डी0ए0 से मास्टर प्लान स्वीकृति की आख्या उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया जिसके सापेक्ष जी0डी0ए0 द्वारा उक्त मास्टर प्लान की स्वीकृति कराये जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने का उल्लेख कर पत्र जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया गया है। साथ ही गाजियाबाद नगर निगम स्तर से भी जी0डी0ए0 को उक्त ले-आउट प्लान उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। जो अभी जी0डी0ए0 स्तर पर विचाराधीन है। ले-आउट प्लान की प्रमाणिकता व सक्षम स्तर (जी0डी0ए0) से अनुपलब्धता होने के फलस्वरूप वादी द्वारा दाखिल मास्टर प्लान में पार्क के क्षेत्रफल 14400 (वर्गगज) के सम्बन्ध में आख्या दिया जाना सम्भव नहीं है। जी0डी0ए0 द्वारा जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित पत्र दिनांक-12.04.2024 व नगर निगम द्वारा जी0डी0ए0 को प्रेषित पत्र दिनांक-10.04.2024 की छायाप्रति संलग्नक-01 के रूप में संलग्न है।


उपरोक्तानुसार आख्या अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।


  
अवर अभियन्ता (उद्यान)  
नगर निगम गाजियाबाद

  
उद्यान निरीक्षक  
नगर निगम गाजियाबाद

  
उद्यान प्रभारी  
नगर निगम गाजियाबाद

  
अधीक्षक अभियन्ता  
नगर निगम गाजियाबाद

  
अपर नगर आयुक्त  
गाजियाबाद नगर निगम

  
नगर आयुक्त  
नगर निगम गाजियाबाद



अति महत्वपूर्ण/मान. एन.जी.टी. प्रकरण

# नगर निगम गाजियाबाद

(ISO : 9001, 14001, 18001 द्वारा प्रमाणित संस्था)

प्रेषक

उद्यान प्रभारी  
गाजियाबाद नगर निगम

सेवा में,

सचिव  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
गाजियाबाद

पत्रांक:- 433 /2024-25

दिनांक:- 10/04/24

विषय:- राजेन्द्रनगर, साहिबाबाद स्थित बावू जगजीवन राम पार्क 8/7 जी.टी.रोड साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मान0 एन.जी.टी. नई दिल्ली में योजित ओ.ए. नं.-710/2023 (IA No.-835/2023) सुशील राघव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, जिसका सम्बन्ध राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित जी.टी.रोड माईल्स 8/7 साहिबाबाद गाजियाबाद में स्थित बावू जगजीवन राम पार्क में गाजियाबाद नगर निगम द्वारा सड़क, पाथवे का निर्माण तथा पार्क के साथ बनाये जा रहे नाले के सम्बन्ध में पार्क की बाउन्ड्री को शिफ्ट किये जाने से पार्क का क्षेत्रफल कम होने के सम्बन्ध में योजित किया गया है, जिसमें मान0 एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद के पत्र संख्या-77/एस.टी.-डी.एम./2024 दिनांक 09.04.2024 के द्वारा मान0 एन.जी.टी. के उक्त पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 05.02.2024 के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या चाही गयी है, ताकि उक्त प्रकरण में सुनवाई हेतु निर्धारित अग्रित नियत तिथि दिनांक 18.04.2024 को जिलाधिकारी महोदय की ओर से अनुपालन आख्या दाखिल करायी जा सके।

अतः उक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को विधि अनुसार आख्या प्रेषित किये जाने हेतु राजेन्द्रनगर, साहिबाबाद स्थित बावू जगजीवन राम पार्क 8/7 जी.टी.रोड साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे अग्रेतर कार्यवाही अमल में लायी जा सके।

(डा0 अनुज कुमार सिंह)  
प्रभारी उद्यान

- प्रतिलिपि:- 1. नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
2. अपर नगर आयुक्त/वरिष्ठ प्रभारी उद्यान को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 अनुज कुमार सिंह)  
प्रभारी उद्यान